



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2011—श्रावण 3, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2011

क्र. बी-11-7-2011-चौदह-2.—विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- परिशिष्ट-2 में पृष्ठ क्रमांक 600(15) से 600(21) तक रबी 2010-11 के स्थान पर खरीफ 2011 पढ़ा जावे।
- परिशिष्ट-2 में तहसील श्योपुर पृष्ठ क्रमांक 600(15) एवं तहसील बड़ोदा पृष्ठ क्रमांक 600(16) में फसल धान हेतु कालम नम्बर-3 में 11610 के स्थान पर 17610, कालम नंबर 5 में 20011 के स्थान पर 20126 एवं कालम नंबर 7 में 37521 के स्थान पर 37736 पढ़ा जावे।
- परिशिष्ट-2 में तुअर फसल हेतु पृष्ठ क्रमांक 600(13) से 600(17) तक कालम नंबर 4 में कृषकों द्वारा देय प्रीमियम अनुदान 6.250 के स्थान पर 5.000 पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव।